कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,उदयपुर

सूरजपोल, उदयपुर – E-Mail Id:- ac.udaipur.dev@rajasthan.gov.in Tel. No- 0294-2420546

क्रमांक :– एफ 3(23)लेखा / देव / धर्मशाला चारभुजा / 2024–25 / 1209 दिनांक :– 7/4/25

ई–निविदा सूचना संख्या 01 / 2025–26

देवस्थान विभाग के स्वामित्व की अधीन संपदा **बस स्टेण्ड स्थित धर्मशाला (मय पार्किंग) चारभुजा गढबोर** तहसील चारभुजा जिला राजसमंद – राज0 को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रक्रिया स्वरूप लीज / ठेका पर देने हेतु इच्छुक व्यक्तियो / फर्मों / कम्पनी से बस स्टेण्ड स्थित धर्मशाला (मय पार्किंग)तहसील चारभुजा जिला राजसमंद– राज0 आरक्षित मूल्य 4,58,310 / – रूपये (अक्षरे चार लाख अठावन हजार तीन सौ दस रू मात्र) वार्षिक के संदर्भ में ऑनलाइन ई–निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामी /बोली दर आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www. devasthan. rajasthan.gov.in पर देखी / डाउनलोड की जा सकती है।

इस हेतु प्री–बिड मीटींग सहायक आयुक्त कक्ष कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,होटल देवदर्शन सूरजपोल, उदयपुर में दिनांक 16.04.2025 समय प्रातः 11.30 बजे पर रखी गयी है।

UBN NO........................

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
उदयपुर

क्रमांक :– एफ 3(23)लेखा / देव / धर्मशाला चारभुजा / 2024–25 / 1210 –1223 दिनांक :– 7/4/25

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय,देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, संभाग उदयपुर
4. श्रीमान् आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर को सूचनार्थ एवं निवेदन है कि उक्त संपदा को लीज पर देने हेतु निविदा प्रक्रिया हेतु मुख्यालय से मनोनित सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को निविदा प्रक्रिया हेतु भिजवाने का श्रम करावे।
5. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय राजसमंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. श्रीमान् शासन उपसचिव, देवस्थान विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय जिला राजसमंद
8. तहसीलदार चारभुजाजी को निविदा कार्यवाही हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद के पत्र कमांक प040( )सा.प्र. / देवस्थान / संपदाओं प्रतिनिधि / 2025 / 77 / दिनांक 27.01.2025 के कम में निविदा कार्यवाही हेतु खोली जाने हेतु नियत दिनांक को उपस्थित होने बाबत
9. वित्तिय सलाहकार,देवस्थान विभाग राजस्थान,उदयपुर।
10. अध्यक्ष होटल एसोसियशन, राजस्थान,उदयपुर / राजसमन्द।
11. जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी,सूचना केंद्र उदयपुर / राजसमन्द
12. श्रीमान् आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान –उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा / बिड प्रपत्र प्रभारी अधिकारी कम्प्युटर शाखा मुख्यालय से विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
13. श्रीमान् सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर / अजमेर / भरतपुर / जोधपुर / ऋषभदेव / कोटा / वृन्दावन / हनुमानगढ / जयपुर प्रथम / जयपुर द्वितीय नोटीस बोर्ड चस्पा एवं प्रचार प्रसार बाबत्।
14. नोटिस बोर्ड मुख्यालय / कार्यालय हाजा /मुन्तजिम मंदिर श्री चारभुजा जी गढबोर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 18:20:27 IST
Reason: Approved

HOTEL LEASE

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,उदयपुर

सूरजपोल, उदयपुर E-Mail Id:- ac.udaipur.dev@rajasthan.gov.in Tel. No- 0294-2420546

क्रमांक :– एफ 3(23)लेखा / देव / धर्मशाला चारभुजाजी / 2024–25 / 1209 दिनांक :– 7/4/25

ई–निविदा सूचना संख्या 01 / 2025–26

देवस्थान विभाग के स्वामित्व की अधीन संपदा बस स्टेण्ड स्थित धर्मशाला (मय पार्किंग) चारभुजा गढबोर तहसील चारभुजा जिला राजसमंद – राज0, को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रक्रिया स्वरुप लीज / ठेका पर देने हेतु इच्छुक व्यक्तियों / फर्मो / कम्पनियों से निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन ई–निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत बोली दरें आमंत्रित की जाती है :–

क्र.सं.	धर्मशाला / विश्रांतिगृह का स्थान व अन्य विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	निविदा शुल्क (रूपये में)	बोली धरोहर राशि ड्राफ्ट (रूपयों में)	ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क रू. में
1	2	3	4	5	6
1	बस स्टेण्ड स्थित धर्मशाला (मय पार्किंग) चारभुजा गढबोर तहसील चारभुजा जिला राजसमंद – राज0 को लीज पर दिये जाने हेतु।	4,58,310 /– रूपये वार्षिक	1000 /–	9170 /–	500 /–

बिड संख्या UBN NO.	
बोली दस्तावेज ऑन लाईन डाउनलोड करने की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि	दिनांक 09.04.2025 प्रातः 11.00 बजे से बोली प्रस्तुत करने की विधि (Online at Eproc website)
प्री बीड मीटींग की दिनांक समय व स्थान	सहायक आयुक्त कक्ष कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,होटल देवदर्शन सूरजपोल, उदयपुर में दिनांक 16.04..2025 समय प्रातः 11.30 बजे
बोली शुल्क, धरोहर राशि, प्रोसेसिंग फीस के डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय (निविदा हेतु डी.डी. दिनांक 08.05.2025 समय सायं 6.00 बजे से पहले के बने हुए होने चाहिये)	दिनांक 08.05.2025 सायं 6.00 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग होटल देवदर्शन परिसर सूरजपोल , उदयपुर
बोली दस्तावेज भरने ऑन लाईन (अपलोड) करने की प्रारम्भ व अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 09.04.2025 दोपहर 2.30 बजे से दिनांक 08.05.2025 समय सायं 4.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोले जाने की तिथि एवं समय व स्थान	दिनांक 09.05.2025 समय प्रातः 11.30 बजे कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, सूरजपोल उदयपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने के संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी। वित्तीय बिड सलंग्न प्रपत्र एच में भरी जाएगी।

सहायक आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14656499

1. ई– निविदा में भाग लेने की शर्ते–

1. यह निविदा वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www. devsthan.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। नीलामी में भाग लेने हेतु वेबसाइट www. eproc.rajasthan.gov.in पर द्वि–भाग बोली सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, वेबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक फोरमेट के माध्यम से ही ऑनलाईन सम्बन्धित अभिलेख अपलोड एवं निलामी दर प्रस्तावित किये जा सकेगें।
2. निविदा प्रपत्र वेबसाइट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक डाउनलोड/अपलोड करवाया जा सकता है एवं इलैक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाइट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किये गए प्रस्ताव प्रथम चरण में तकनीकी बिड निर्धारित दिनांक एवं समय पर समिति द्वारा खोली जाएगी। तकनीकी बिड के मुल्यांकन में योग्य पाये गये व्यवसायियों /फर्मों की वित्तीय बिड खोलने के संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी।
3. निविदा सूचना सारणी के कॉलम 4 व 5 में दर्शाई गई बोली शुल्क व धरोहर राशि के अलग–अलग डी.डी. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के नाम उदयपुर में भुगतान योग्य बनवानी होगी। क्रम संख्या 6 मे अंकित प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। उक्त तीनों डी.डी. की प्रति आनलाईन अपलोड करनी होगी। ऑनलाईन अपलोड करने के उपरान्त बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क, धरोहर राशि व प्रक्रिया शुल्क के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्धारित दिनांक एवं समय तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराने आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उक्त डी डी प्राप्त नही होने की दशा में सम्बन्धित बोलीदाता के ऑनलाईन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जावेगा।
4. किसी भी बोली/बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के पास सुरक्षित है।
5. निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के उपरान्त प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दर में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर धरोहर राशि जब्ति/शास्ति एवं आगामी बोली से वंचित/अयोग्य आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अन्य आवश्यक निर्देश।

(अ) इस कार्य में रूचि रखने वाले एव निलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियो/ फर्मो/कम्पनियो को इन्टरनेट साईट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक बोली में लॉग–ईन/साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी.सी.ए.

Signature valid

Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 18:20:27 IST
Reason: Approved

(CCA) द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है, नया डिजिटल सार्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

(ब) निविदादाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट (शुल्क, तकनीकी, वित्तीय आदि) में वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा बोली अमान्य होगी। कोई भी निलामी प्रस्ताव भौतिक रूप में स्वीकार नही होगा।

(स) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को अपलोड कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षर युक्त स्कैन प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है। यथा (शुल्क की फोटोप्रतियां, पहचान पत्र, पेन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र, गत तीन वर्ष का टर्नऑवर (बेस प्राईस का तीनगुना)विगत तीन वर्षो का आई. टी. आर. सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बैलेंस शीट अन्य वांछित दस्तावेज एवं शुल्क के डी डी इत्यादि।)

(द)निर्धारित दिनांक तक कोई निविदादता निविदा में विगत 3 वर्षो का ITR व CA द्वारा अंकेक्षित बेलेन्स शीट दस्तावेज इलैक्ट्रोनिकली अपलोड कराने में किसी कारण से असफल/देरी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार विभाग नही होगा।

(र) बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी कॉलमों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन किया जावे।

7. उक्त निलामी में GF&AR,RTPPAct 2012 & Rules 2013,धर्मशाला नीति एवं समय–समय पर जारी अन्य विभागीय नियम/परिपत्र व निर्देश कानुन स्वतः लागु होगें।

हस्ताक्षर मय सील बोलीदाता

Signature valid

Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 18:20:27 IST
Reason: Approved

देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं को धर्मशाला लीज नीति–2021 के अनुसार लीज अनुबंध पर संचालन करने हेतु राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री चारभुजा जी गढबोर संबन्धित बस स्टेण्ड स्थित धर्मशाला (मय पार्किंग) ग्राम गढबोर तहसील चारभुजा जिला राजसमंद – राज0को लीज अनुबन्ध पर आमंत्रित की जाने वाली निविदा की शर्तें एवं प्रारुप

1. देवस्थान विभाग के अंतर्गत संचालित **बस स्टेण्ड स्थित धर्मशाला (मय पार्किंग) ग्राम गढबोर** को 15 वर्ष के लिए लीज राशि पर संचालन हेतु दिये जाने बाबत् निविदा आमंत्रित की जा रही है।
2. **लीज राशि का भुगतान :–** विभागीय धर्मशाला नीति 2021 के अन्तर्गत स्वीकृत निविदा राशि के अनुसार 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि सफल संवेदक की उसी समय जमा की जायेगी। सफल बोली दाता को वार्षिक लीज राशि की 5 प्रतिशत धरोहर राशि (निविदा के साथ प्रस्तुत अमानत राशि को शामिल करते हुए) जमा करवानी होगी। तथा तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम रुप देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रुप देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। लीज राशि अग्रिम रुप से समय पर जमा नही करने पर संबंधित सहायक आयुक्त, संबंधित लीजधारक को नोटिस जारी करेगा इस पर भी राशि जमा नही करने पर लीज समाप्ति बाबत् अपनी अनुशंषा आयुक्त को भेजेगा आयुक्त लीज धारक का पक्ष सुनकर यदि राशि जमा नही होती है तो लीज समाप्त कर सकेगा। उदाहरणार्थ अगर वार्षिक लीज राशि 12000 रूपये है और लीज अवधि प्रारम्भ होने का माह जनवरी है, तो 3000 रूपये अग्रिम लीज निविदा स्वीकृत राशि जमा करवानी होगी तथा जनवरी से मार्च की राशि 3000 रूपये अग्रिम जमा होगी इसके बाद अप्रेल से जून त्रैमास की लीज राशि 10 फरवरी तक जमा करवानी होगी। आगामी अवधि में उक्त गणना अनुसार राशि जमा करवानी होगी।समय पर राशि जमा नही करवाये जाने पर GF&AR एवं धर्मशाला नीति में प्रावधानुसार शास्ती एवं ब्याज वसूलनीय होगा।
3. **लीज राशि में वृद्धि :–**एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नही बढाया जाएगा। यदि किसी अप्रत्याशित या प्रशासनिक कारणों से अग्रिम

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

बोली की प्रकिया पूर्ण नहीं हो पाती, तो रेंट कंट्रोल एक्ट के विद्यमान प्रावधान अनुसार वार्षिक किराये में 5 प्रतिशत किराये में वृद्दि के प्रावधान को मार्गदर्शक मानते हुए वर्तमान लीज धारक द्वारा देय राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए आगामी लीज प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान लीज धारक को संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।

वार्षिक लीज राशि में वृद्धि– अनुमोदित वार्षिक लीज राशि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढेगी।लीज अनुमोदन के 10 वर्ष उपरान्त इस 50 प्रतिशत बढोतरी को मूल लीज राशि में जोडा जाएगा तथा 11वे वर्ष से इस जुडी हुई राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि होगी।

4. **धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधान :–**

1. संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी। विभाग किसी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को संभलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव–ऑफ किया जा सकेगा। लीज धारक द्वारा यदि संपदा का मूल्य सवंर्धन किया जाता है तो उस पर विभाग का अधिकार रहेगा जिसके लिए लीज धारक को कोई मूल्य विभाग द्वारा नही चुकाया जावेगा।
2. अनुबंधकर्ता को संपदा के साइन बोर्ड के उपर स्पष्ट रुप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर '**देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार की संपदा**' लिखना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा। अनुबन्धकर्ता द्वारा धर्मशाला का कोई भी सारवान भाग sublet नही किया जा सकेगा/नाही Partnership Firm में किसी को भविष्य में सहयोगी बनाया जा सकेगा। अन्यथा लीज निरस्त की जा सकेगी।
3. अनुबंधकर्ता संपदा के स्वरुप में कोई भी परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की अनुमति से ही करायेगा इसके लिये सहायक आयुक्त के मार्फत आयुक्त को व्यक्तिशः आवेदन करना होगा। सहायक आयुक्त आवेदन का अधिकतम 15 दिवस में आयुक्तालय प्रेषित करेगा। आवेदन करने के 60 दिवस में अनुमति मिलने/नही मिलने की दशा में स्वतः अनुमति मानी जायेगी किन्तु स्वतः अनुमति तभी प्रभावी होगी जब इसकी सूचना

Signature valid

Digitally signed by Jate[illegible]n Kumar Gandhi
Designation : Assist[illegible]nt Commissioner
Date: 2025.04.07 1[illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

लीजधारक 60 दिवस की समाप्ति पर सहायक आयुक्त को दे देगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी एवं मरम्मत अनुबंधकर्ता स्वयं के व्यय पर करा सकेगा। अनुबधकर्ता को सम्पदा की समुचित साफ–सफाई के साथ–साथ परिसर में वृक्षारोपण /गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रुफ वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।

4. राज्य सरकार की बजट घोषणा अनुसार राजस्थान से बाहर अवस्थित धर्मशाला में राजस्थान के मूल निवासी जो कि BPL कार्ड धारक है, के लिये ठहरने की निशुल्क व्यवस्था करनी होगी।

5. अनुबंधकर्ता को संपदा में निम्न सुविधायें रखनी आवश्यकता होंगी :–

   - रिसेप्शन काउंटर उपयुक्त सुविधा व मानव संसाधन सहित
   - शिकायत/ फीडबैक पुस्तिका
   - शिकायत/ फीडबैक पेटिका
   - कमरे, भोजन व अन्य सुविधा/ सामग्री की दर (प्रमुखता से दृश्य रुप में)

6. अनुबंधकर्ता द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रुप में कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती है तो वह इस हेतु स्वयं के स्तर पर दर न रखकर विभाग से अनुमोदित दर ही रखेगा। एक्सट्रा बेड के लिए कमरे के किराए का एक चौथाई वसूल किया जा सकेगा। डोरमेटरी हेतु एक्सट्रा बेड का कोई प्रावधान नहीं होगा। विभाग द्वारा अधिकतम तय किराया निम्नानुसार है।तथा यदि शासकीय नियमानुसार कोई देय है तो वह इसमें जोडा जा सकेगा। उक्त प्रभार डबल रूम का होगा। अतिरिक्त बेड का 25 प्रतिशत अतिरिक्त होगा।

	प्रथम 5 वर्ष तक	5 वर्ष उपरान्त (10 वर्ष तक)	10 वर्ष उपरान्त
डोरमेट्री	150/– प्रतिदिन	200/– प्रतिदिन	250/– प्रतिदिन
सामान्य रूम	500/– प्रतिदिन	625/– प्रतिदिन	750/– प्रतिदिन
वीआईपी/डीलक्स/सुपर डीलक्स	4000/– प्रतिदिन	5000/– प्रतिदिन	6000/– प्रतिदिन

नोटः– किराये पर संचालित दुकाने लीज के अन्तर्गत नहीं हैं। इस हेतु लीज पर दिये जाने वाली संपदा का नक्षा व विवरण निविदा के साथ संलग्न है तथा विस्तृत जानकारी के लिये इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

Signature valid

Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

7. धर्मशाला के पास दक्षिण दिशा की तरफ स्थित पार्किंग स्थल भूमि धर्मशाला लीज के अन्तर्गत शामिल है। विभिन्न वाहनों के प्रवेश के लिये संवेदक द्वारा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क ली जा सकेगी।

क्र.स.	वाहन का प्रकार	राशि रूपये प्रति वाहन	समयावधि
1.	दो पहिया वाहन	10.00	12 घण्टे
2.	हल्के वाहन (कार,जीप,वेन,टेम्पों)	30.00	12 घण्टे
3.	भारी वाहन(बस/बडे वाहन)	100.00	12 ण्टे

अनुबन्धकर्ता/संचालनकर्ता द्वारा अपने स्तर पर पार्किंग की दरो में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा। देवस्थान विभाग द्वारा सक्षम स्वीकृति मिलने के पश्चात ही दरो में परिवर्तन किया जा सकेगा।

8. प्रत्येक रुकने वाले यात्री को निम्न सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के देय होगी :—
   - प्रति बेड एक धुली हुई चादर व बेडशीट
   - ब्लेंकेट या रजाई
   - एक बडा तौलिया और दो छोटे तौलिए
   - बाथरुम सोप
   - बाथरुम के लिए आवश्यक बाल्टी, मग और पायदान (फुट—रंग)
     उक्त के अतिरिक्त अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर अतिरिक्त सामग्री निःशुल्क सामग्री प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

9. अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर धर्मशाला में निवास करने वालों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा। संपदा में यदि मंदिर/देवरा आदि है तो धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का व्यवसाय जैसे, मांस, मदिरा आदि का व्यवसाय परिसर में नहीं करेगा एवं परिसर में स्थित मंदिर में दर्शनार्थ एवं सेवा पुजा करने के लिये आने वाले दर्शनार्थियो को रोक टोक नही करेगा तथा मन्दिर देवरा नही होने की स्थिति में भी धार्मिक मर्यादाओ के विरूद्धा किसी भी प्रकार का व्यवसाय परिसर में नही कर सकेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं देना होगा।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

10. उक्त सम्पदा के अन्तर्गत लीज धारक को विभागीय अधिकारी के लिये वी.आई.पी. एवं अन्य कर्मचारी के लिये एक साधारण कमरा आरक्षित रखना आवश्यक होगा।

11. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा सम्पदा में रख सकेगा, जिसे अनुबंधकर्ता को बिना बाधा के सहजदृश्य रुप में लगाना होगा। आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा में दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता है, जिसकी राशि केवल देवस्थान विभाग की होगी। इसके लिए विभाग अपनी अलग प्रकिया निर्धारित कर सकता है।

12. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस–पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार की हानि नहीं पंहुचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। अनुबंधकर्ता राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित अनुबंधकर्ता अनुबन्धित (बाध्य) होगा।

13. राज्य सरकार या नगर पालिका/ नगर विकास प्रन्यास अन्य किसी विभाग/ संस्था/स्थानीय पंचायत द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो अनुबंधकर्ता को लीज राशि के अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा। बोली के उपरांत किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध में देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता के मध्य नियमानुसार कोई समझौता नही किया जा सकेगा। बिजली, पानी के बिल का भुगतान भी अनुबंधकर्ता को करना होगा तथा लीज अवधि पूर्ण होने पर बकाया नही का प्रमाण–पत्र पेश करने पर ही सुरक्षा राशि लौटाई जायेगी।

14. संपदा में बोली के उपरान्त किसी अन्य व्यक्तियों को उप अनुबंधकर्ता/सबलेट नहीं करेगा। यदि अनुबंधकर्ता ने शर्तों की अवहेलना की तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग की ओर से कर दी जाएगी।

5 **बोली की शर्तें :–**

1. **बोलीदाता की पात्रता व आर्थिक स्थिति :–**बोलीदाता को बोली के समय अन्य विभागीय सूचना के साथ–साथ आवश्यक रुप से अपना आधार नम्बर, पैन नम्बर, बैंक खाता विवरण, पत्र व्यवहार का पता, मोबाईल नंबर [illegible] किसी

Signature valid

Digitally signed by Jate[illegible]h Kumar Gandhi
Designation : Assist[illegible]nt Commissioner
Date: 2025.04.07 1[illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रुप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। बोली में भाग लेने के लिए बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर उस सम्पदा की रिजर्व प्राइस के तीनगुने के बराबर होना आवश्यक होगा। यदि किसी कारण से बोली लगाने हेतु कोई बोलीदाता नहीं आता है, तो यह राशि घटायी जा सकेगी। लीज की राशि की सुरक्षित वसूली के क्रम में बोलीदाता से पिछले तीन वर्ष की आयकर का रिटर्न एवं सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बैलेन्स शीट की प्रतियां तथा नियमानुसार गारंटी लिया जाना प्रस्तावित है। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म बोली लगाती है, तो बोली लगाते समय बोलीदाता को पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पेश करनी होगी, अन्यथा बोली नहीं लगा सकेगा। वैधानिक रूप से फर्म का गठन किया गया है तो सभी पार्टनर की टर्न ऑवर का योग मान्य रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के दायित्व के लिये सभी पार्टनर संयुक्त रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेगें।

2. संपदा की बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि (संपदा की स्थिति अनुसार) जमा कराना होगा। इस हेतु बोली से पूर्व नियमानुसार अनुमोदित राशि का 2 प्रतिशत अमानत राशि वसूल की जायेगी। बोली हेतु असफल रहने पर नियमानुसार राशि वापस की जाएगी। स्वीकृत बोली दाता को अमानत राशि के अतिरिक्त धरोहर राशि स्वीकृत वार्षिक लीज राशि के 5 प्रतिशत के बराबर (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) जमा करानी होगी जो लीज अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने पर अदेयता प्रमाण–पत्र पेश करने पर लौटाई जा सकेगी।
3. जिस व्यक्ति के नाम निविदा स्वीकृत होगी, उसको 3 माह की अग्रिम राशि तीन दिवस में जमा करवानी होगी, अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. अधिकतम बोली (1 लाख से कम वार्षिक) को स्वीकृत करने अथवा नही करने का अधिकार आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर को होगा। 1.00 लाख से अधिक की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत राज्य सरकार स्तर से की जावेगी। प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नही है एवं प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में बोलीदाता को अमानत राशि लौटा दी जाएगी, लेकिन उस पर किसी अवधि का किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।

Signature valid
Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

5. अधिकतम बोलीदाता के नाम संपदा निर्धारित राशि पर देने की स्वीकृति होने पर जरिये पत्र उनको सूचित किया जाएगा कि वह आकर संपदा का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। यदि उक्त पत्र अधिकतम बोलीदाता द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो उसके द्वारा सूचित मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई डी पर सूचना प्रेषित करते हुए पत्र संपदा पर चस्पा कर दी जाएगी कब्जा पत्र तथा सम्पदा पर चस्पा करने पर नोटीस निविदादाता को तामील होना माना जाएगा तथा विभागीय वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, फिर भी पत्र में वर्णित अवधि में दुकान/मकान/संपदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि वह दुकान/मकान/संपदा किराये पर नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गई तीन माह की अग्रिम राशि जब्त करके दुकान/मकान/संपदा पुनः नीलाम की जाएगी।
6. संपदा लीज पर देने की सक्षम स्वीकृति की सूचना के पश्चात् अधिकतम बोलीदाता को 15 दिवस के भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करने पर अधिकतम बोलीदाता के रुप में उसका हक समाप्त हो जाएगा तथा उसकी धरोहर व अग्रिम जमा राशि जब्त हो जाएगी एवं विभाग नई बोली कर सकेगा अथवा संपदा का उपयोग अन्य विकल्प के रुप में कर सकेगा। अनुबंध पत्र लिखने पर ही संपदा का कब्जा दिया जावेगा। अनुबंध पत्र का पंजीयन अधिकतम बोलीदाता को स्वयं के खर्चे से कराना होगा।
7. अनुबंधकर्ता को उक्त लीज राशि के अनुरुप दी जाने वाली निर्धारित कर (जीएसटी या अन्य राजकीय शुल्क इत्यादि) का भुगतान स्वयं करना होगा। इसमें किसी देयता का उत्तरदायी वह स्वयं होगा।
8. अनुबंधकर्ता को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते में ऑनलाईन अथवा चैक रुप में अथवा विशेष रुप में निर्दिष्ट किये जाने पर मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान के यहाँ नकद /चालान द्वारा अनिवार्य रुप से जमा कराना होगा, अन्यथा बकाया पर 12 प्रतिशत वार्षिक प्रतिशत की दर से ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

9. अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा इसके बिल का भी स्वयं ही भरण करना होगा। यदि अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी उससे वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

10. यदि बोलीदाता निर्धारित समय पर संपदा खाली नहीं करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते हुये उसमे हुई क्षति की वसूली हेतु उसके विरुद्ध विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

11. यदि संपदा के क्षेत्र में किसी राजकीय प्रावधान पर अथवा अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में विभाग द्वारा बोली अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, तो देवस्थान विभाग द्वारा बोली अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और यदि अनुबंध कर्ता द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो वह बिना ब्याज के वापस दी जाएगी। उक्त कार्यवाही पर निविदादाता/ बोलीदाता किसी प्रकार का दावा करने या क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

12. यदि विभाग की अनुमति के पश्चात् भी अगर नगर परिषद या राज्य सरकार द्वारा नियमों के व्यतिक्रम के कारण आपत्ति व्यक्त की गई, तो इस संबंध में सम्पदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटिके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

13. अनुबंध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर अनुबंधकर्ता लीजधारक के विरुद्ध धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा **राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1964** के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।

14. अनुबन्ध लीज की अवधि में अनुबंधकर्ता लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक वारिसान संचालन किया जा सकेगा तथा उनके इच्छुक नहीं होने पर विभाग

Signature valid

Digitally signed by Jate[illegible]n Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 [illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14656499

धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु बकाया किराया, कर, शुल्क इत्यादि हेतु विधिक वारिसान उत्तरदायी होगा किन्तु किसी भी स्थिति में किसी भी लीजधारक/ विधिक वारिसान को आगे सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।

15. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व खाली करना चाहेगा, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह विज्ञप्ति संबंधी व्यय का वहन करने की राशि जमा कराते हुए खाली करने के न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाऐगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक को यह सुविधा 1 वर्ष के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

16. धर्मशाला के बीच का चौक संवेदक द्वारा मन्दिर श्री चारभुजा जी गढबोर के होने वाले उत्सवों एवं कार्यक्रम हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा जिसके लिये संवेदक को कोई भी राशि देय नही होगी।

17. देवस्थान विभाग के अधिकारी, निरीक्षक, प्रबन्धक, मुन्तजिम ईत्यादि द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथाआवश्यक अनुबन्ध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनों की कार्यवाही की जा सकेगी।

18. उक्त धर्मशाला को आकस्मिक कार्यों यथा बाढ राहत, चुनाव, महामारी आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलेक्टर अथवा देवस्थान विभाग द्वारा अस्थाई रुप से अधिगृहित किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नही होगा, परन्तु अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहीत किया गया, उतने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि प्रथम पक्ष/देवस्थान विभाग प्राप्त नहीं करेगा।

19. अनुबन्ध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प–रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व अनुबंधकर्ता लीज धारक का होगा।

20. धर्मशाला एवं पार्किंग की नियमित साफ–सफाई करवाने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा उक्त परिसर में आवश्यकतानुसार डस्टबीन रखे जावेगें एवं पार्किंग स्थल पर आने वाल महिला एवं पुरूषों की सुविधाओं के लिये पृथक–पृथक एवं पर्याप्त

Signature valid

Digitally signed by Jate[illegible]n Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 [illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14656499

व्यवस्था करनी होगी एवं उनके नियमित साफ–सफाई की व्यवस्था करने का दायित्व स्वयं संवेदक का होगा।

21. धर्मशाला एवं पार्किंग स्थल पर पर्याप्त सीसीटीवी, सुरक्षा एवं पर्याप्त रोशनी सम्बन्धित उपाय करने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।

22. आयुक्त, देवस्थान विभाग आवश्यकतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्यधीन बोली की शर्ते राज्य सरकार की पूर्वानुमति से जोड/हटा सकते है।

23. राज्य सरकार एवं देवस्थान विभाग द्वारा धर्मशाला एवं विभागीय सम्पदाओ के संचालन से सम्बन्धित कोई भी नियम, उपनियम, आदेश, परिपत्र जारी किये जाते है उसे अनुबन्धकर्ता को मानना बाध्यकारी होगा।

24. समस्त विवादो का न्याय क्षैत्र उदयपुर रहेगा।

25. लीज अनुबंध पत्र :–निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत लीज डीड अनुबन्ध–पत्र अथवा एम.ओ.यू निष्पादित करने हेतु वांछनीय अनुबंध का **प्रारुप प्रपत्र–2** संलग्न है।

Signature valid
Digitally signed by Ja n Kumar Gandhi
Designation : Assist nt Commissioner
Date: 2025.04.07 :20:27 IST
Reason: Approved

देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं/ विश्रामगृहों के संचालन हेतु

अनुबन्ध –पत्र

यह लीज अनुबंध आज दिनांक.......................... को राजस्थान सरकार की ओर से आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर (जिसे आगे चलकर इस लीजडीड में प्रथम पक्षकार मालिक के नाम से संबोधित किया गया है)

बहक

नाम –..
पिता श्री –..
जाति –..
जन्म तिथि –..
उम्र–..वर्ष...
पैन नम्बर –...
आधार नम्बर –...
मोबाईल न. –..
ई–मेल आई. डी. –...
निवासी –...
तहसील –...
जिला –.....................................राज्य–............................ पिनकोड–.......................

पार्टनरशिप फर्म द्वारा बोली लगाने की स्थिति में पंजीकृत पार्टनशीप डीड –

संस्था का टिन नम्बर (आवश्यक होने पर) –

(जिसे आगे चलकर इस अनुबन्ध पत्र में द्वितीय पक्षकार/ अनुबंधकर्ता लीजधारक के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्न प्रकार से निष्पादित किया जाता है, जिसमें लीज एवं अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार हैं, जिसके लिए दोनों पाबंद रहेंगें।

1. यह कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ एवं नियंत्रित निम्न सम्पदा के निविदा आधारित संचालन के लिए, यह अनुबंध द्वितीय पक्षकार (लीज धारक) एवं प्रथम पक्षकार (मालिक) के मध्य किया जाता है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :–

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

1	धर्मशाला नाम	
2	स्थान	
3	मंदिर, जिसके अन्तर्गत धर्मशाला है।	
4	तहसील	
5	जिला	
6	धर्मशाला की चतुर्सीमा (पडोस) निम्न प्रकार	
	पूर्व	
	पश्चिम	
	उत्तर	
	दक्षिण	
7	अनुबन्ध हेतु दिया गया कुल फ्लोर एरिया	....................वर्ग फीट
8	अनुबन्ध हेतु दिया गया कुल बिल्ड अप एरिया	..................वर्ग फीट
9	निर्मित भाग का विवरण	
10	(1) कुल मंजिलें भू–तल सहित	
	(2) कुल कमरे	
	(3) अन्य विवरण	
11	संचालन हेतु संभलाई गई अन्य सामग्री, संख्या सहित	

2. यह कि प्रथम पक्षकार देवस्थान विभाग द्वारा द्वितीय पक्ष अनुबंधकर्ता लीजधारक को देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो एवं दरों पर यात्रियों को अस्थाई रूप से ठहरने के लिए उपर्युक्त वर्णित धर्मशाला निम्नानुसार अवधि एवं दर पर संचालन हेतु दी जा रही है:–

(1) संचालन अवधि 15 वर्ष अनुबंध की तिथि से
(2) वार्षिक देय राशि –
(3) त्रैमासिक देय राशि –
(4) अधिकतम किराया –
(5) साधारण रूम –
(6) डोरमेट्री –
(7) वी.आई.पी. / डीलक्स / सुपर डीलक्स –

Note

(क) VIP रूम से तात्पर्य उस कक्ष में ए.सी. सुविधा के साथ अटेच्ड टॉयलेट व टीवी सुविधा तथा बेहतर व्यवस्था का होना आवश्यक होगा। किसी कक्ष को इस [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Jate[illegible]h Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 1[illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

में घोषित करने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अधिकारी अथवा समिति द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होगा।

(ख) बोलीदाता/अनुबंधकर्ता लीजधारक उक्त निर्धारित किराये में सीजन के हिसाब से स्वयं के स्तर पर दरों में कटौती कर सकने हेतु अधिकृत होगा। उदाहरणार्थ वह विशेषतः ऑफ सीजन में कम दर रखकर ऑक्यूपेंसी बढा सकता है।

(ग) देवस्थान विभाग प्रति बोली वर्ष में दरों का पुर्ननिर्धारण कर सकेंगा।

(घ) अनुबंध में दी गई सम्पदा के रिक्त स्थान अथवा परिसर का प्रयोग विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु अनुबन्धदाता स्वयं द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर कर सकेगा, जिसके लिए वह यथावश्यक नगरीय निकाय या पंचायती राज के नियमों की पालना करेगा।

3. **लीज राशि का देय होना:–** प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत बोली में देय राशि के अनुसार तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रूप से देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। समय पर राशि जमा नही करवाये जाने पर GF&AR प्रावधानुसार ब्याज वसूलनीय होगा।

4. **लीज राशि में वृद्धिः–**एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नही बढाया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक या प्रशासनिक कारण से अग्रिम बोली की प्रकिया पूर्ण नहीं हो पाती, तो रेंट कंट्रोल एक्ट के विद्यमान प्रावधान अनुसार वार्षिक किराये में 5 प्रतिशत किराये में वृद्वि के प्रावधान को मार्गदर्शक मानते हुए वर्तमान लीज धारक द्वारा देय राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए आगामी लीज प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान लीज धारक को संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।

वार्षिक लीज राशि में वृद्धि– अनुमोदित वार्षिक लीज राशि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढेगी। लीज अनुमोदन के 10 वर्ष उपरान्त इस 50 प्रतिशत बढोतरी को मूल लीज राशि में जोडा जाएगा तथा 11वे वर्ष से इस जुडी हूई राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि होगी।लीज अनुमोदन एवं आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा परिवीक्षा अवधि द्वितीय पक्षकार द्वारा सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर समीक्षा उपरान्त धर्मशाला नीति के अनुसार अवधि बढाने पर निविदा शर्तो अनुसार वृद्धि होगी।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 18:20:27 IST
Reason: Approved

5. **धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधानः–**

1. संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी। विभाग किसी भी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को संभलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक से सूची बनायी जा सकेंगी, जिसे वेव–ऑफ किया जा सकेंगा।
2. अनुबंधकर्ता लीजधारक को संपदा के साइन बोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर **देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार** की सपंदा लिखना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।
3. अनुबंधकर्ता संपदा के स्वरुप में कोई भी परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की अनुमति से ही करायेगा इसके लिये सहायक आयुक्त के मार्फत आयुक्त को आवेदन करना होगा आवेदन करने के 60 दिवस में अनुमति मिलने/नही मिलने की दशा में स्वतः अनुमति मानी जायेगी किन्तु स्वतः अनुमति तभी प्रभावी होगी जब इसकी सूचना लीजधारक 60 दिवस की समाप्ति पर सहायक आयुक्त को दे देगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी एवं मरम्मत अनुबंधकर्ता स्वयं के व्यय पर करा सकेगा। अनुबधकर्ता को सम्पदा की समुचित साफ–सफाई के साथ–साथ परिसर में वृक्षारोपण/गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रुफ वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।
4. अनुबंधकर्ता लीजधारक को संपदा में निम्न चीजें रखनी आवश्यक होंगी–
   - स्वागत पटल (Reception Countes) उपयुक्त सुविधा व मानव संसाधन सहित
   - शिकायत/फीडबैंक पुस्तिका
   - शिकायत/फीडबैंक पेटिका
   - कमरे, भोजन व अन्य सुविधा/सामग्री की दर (प्रमुखता से दृश्य रूप में)
5. अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रूप में कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती हैं तो, वह इस हेतु स्वयं के स्तर पर [illegible] दर

Signature valid
Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

पर ही प्रदान की जायेगी। एक्सट्रा बेड के लिए कमरे के किराए का आधा वसूल किया जा सकेगा। डोरमेटरी हेतु एक्सट्रा बेड का कोई प्रावधान नहीं होगा। विभाग द्वारा अधिकतम तय किराया निम्नानुसार हैं तथा यदि शासकीय नियमानुसार कोई कर देय है तो वह इसमें जोडा जा सकेगा। उक्त प्रभार डबल रूम का होगा। अतिरिक्त बेड का 25 प्रतिशत अतिरिक्त होगा।

	प्रथम 5 वर्ष तक	5 वर्ष उपरान्त (10 वर्ष तक)	10 वर्ष उपरान्त
डोरमेट्री	150/– प्रतिदिन	200/– प्रतिदिन	250/– प्रतिदिन
सामान्य रूम	500/– प्रतिदिन	625/– प्रतिदिन	750/– प्रतिदिन
वीआईपी/डीलक्स/सुपर डीलक्स	4000/– प्रतिदिन	5000/– प्रतिदिन	6000/– प्रतिदिन

नोटः– देवस्थान विभाग द्वारा उक्त धर्माशाला के बाहर किराये पर संचालित दुकाने धर्मश्शाला लीज के अन्तर्गत नहीं हैं। विभाग के किरायेदारो से अनुबन्धकर्ता किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही करेगा। इस हेतु लीज पर दिये जाने वाली संपदा का नक्शा व विवरण निविदा के साथ संलग्न है तथा विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय हाजा में किसी भी कार्य दिवस उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

6. धर्मशाला के पास दक्षिण दिशा की तरफ स्थित पार्किंग भूमि धर्मशाला लीज के अन्तर्गत शामिल है। विभिन्न वाहनों के प्रवेश के लिये संवेदक द्वारा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क ली जा सकेगी।

क.स.	वाहन का प्रकार	राशि रूपये प्रति वाहन	समयावधि
1.	दो पहिया वाहन	10.00	12 घण्टे
2.	हल्के वाहन (कार,जीप,वेन,टेम्पों)	30.00	12 घण्टे
3.	भारी वाहन(बस/बडे वाहन)	100.00	12 घण्टे

अनुबन्धकर्ता/संचालनकर्ता द्वारा अपने स्तर पर पार्किंग की दरो में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा। देवस्थान विभाग से सक्षम स्वीकृति मिलने के पश्चात ही दरो में परिवर्तन किया जा सकेगा।

7. प्रत्येक रूकने वाले यात्री को निम्न रूप में सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के देय होगीः–
   - प्रति बेड एक धुली हुई चादर व बेडशीट
   - ब्लेंकेट या रजाई
   - एक बडा तौलिया और दो छोटे तौलिए
   - बाथरूम सोप
   - बाथरूम के लिए आवश्यक बाल्टी, मग और पायदान (फुट–रग)

Signature valid
Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

- उक्त के अतिरिक्त अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के स्तर पर अतिरिक्त सामग्री निःशुल्क प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

8. अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर धर्मशाला में निवास करने वालों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा। संपदा में यदि मंदिर/देवरा आदि है तो धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का व्यवसाय जैसे, मांस, मदिरा आदि का व्यवसाय परिसर में नहीं करेगा एवं परिसर में स्थित मंदिर में दर्शनार्थ एवं सेवा पुजा करने के लिये आने वाले दर्शनार्थियो को रोक टोक नही करेगा तथा मन्दिर देवरा नही होने की स्थिति में भी धार्मिक मर्यादाओ के विरूद्धा किसी भी प्रकार का व्यवसाय परिसर में नही कर सकेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं देना होगा।
9. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा सम्पदा में रख सकेगा। जिसे अनुबंधकर्ता लीजधारक को बिना बाधा के सदृश्य रूप में लगाना होगा। आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा में दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता हैं, जिसकी राशि केवल देवस्थान विभाग की होगी। इसके लिए विभाग अपनी अलग प्रकिया निर्धारित कर सकता है।
10. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस–पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को अनुबंधकर्ता लीजधारक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार या आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित अनुबंधकर्ता लीजधारक अनुबंधित (बाध्य) होगा।
11. राज्य सरकार या नगर पालिका नगर विकास प्रन्यास द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता हैं, तो अनुबंधकर्ता लीजधारक को लीज राशि के अतिरिक्त उक्त राशि का स्वयं भुगतान करना होगा। बोली के उपरांत किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध में देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता लीजधारक के मध्य नियमानुसार कोई समझौता नही किया जा सकेंगा।
12. संपदा में अनुबंध के उपरांत लीज धारक किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप अनुबंधकर्ता नहीं रखेगा। यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक ने शर्तो की अवहेलना की, तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी।
13. अनुबंधकर्ता लीजधारक को उक्त लीज राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित कर, शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इसमें किसी त्रुटि/बकाया देयता का उत्तरदायी वह स्वयं होगा।

Signature valid
Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

14. अनुबंधकर्ता लीजधारक को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते में ऑनलाईन अथवा चैक के रूप में अथवा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जाने पर नकद राशि के रूप में मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान के यहाँ अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से Gf&AR अथवा धर्मशाला लीज नीति में प्रावधान एवं समय–समय पर नियमों परिवर्तन अनुसार) ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।
15. अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा इनके बिल का भी स्वयं ही भरण करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया तो भी राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेंगी।
16. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक/बोलीदाता निर्धारित समय पर संपदा खाली नहीं करता हैं या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता हैं या बोली की शर्तो का उल्लंघन करता हैं तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते में उसके विरूद्व विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
17. यदि संपदा के क्षेत्र में किसी राजकीय प्रावधान में परिवर्तन के कारण बोली अवधि में, संचालन में प्रतिबंध लागू होता हैं या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार परिसम्पति रिक्त करवाना चाहे तो,देवस्थान विभाग द्वारा बोली अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकेंगा और यदि लीज धारक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो, वह बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।इस प्रावधान के तहत समय पूर्व अनुबन्ध समाप्त करने पर संविदाकार किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।
18. विभाग की अनुमति के पश्चात् भी यदि नगर परिषद् या राज्य सरकार द्वारा नियमों के व्यतिक्रम के कारण आपत्ति व्यक्त की गई, तो इस संबंध में सम्पदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
19. अनुबन्ध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का लीज धारक द्वारा उल्लंघन करने पर लीज धारक के विरूद्व धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियो की बेदखली अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।
20. अनुबन्ध लीज की अवधि में अनुबंधकर्ता लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक वारिसान संचालन किया जा सकेगा तथा उनके इच्छुक नही होने पर विभाग धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु बकाया किराया, कर, शुल्क इत्यादि हेतु विधिक

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

वारिसान उत्तरदायी होगा किन्तु किसी भी स्थिति में किसी भी लीजधारक/ विधिक वारिसान को आगे सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।

21. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व खाली करना चाहेगा, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि यह विज्ञप्ति संबंधी व्यय का वहन करने की राशि जमा कराते हुए खाली करने की न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना देवस्थान विभाग के संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक को यह सुविधा 1वर्ष के उपरान्त ही प्राप्त होगी।
22. धर्मशाला के बीच का चौक संवेदक द्वारा मन्दिर श्री चारभुजा जी गढबोर के होने वाले उत्सवों एवं कार्यक्रम हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा जिसके लिये संवेदक को कोई भी राशि देय नही होगी।
23. उक्त सम्पदा के अन्तर्गत लीज धारक को विभागीय अधिकारी के लिये वी.आई.पी. एवं अन्य कर्मचारी के लिये एक साधारण कमरा आरक्षित रखना आवश्यक होगा।
24. देवस्थान विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेंगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथाआवश्यक अनुबंध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनों की कार्यवाही साथ–साथ की जा सकेंगी।
25. आकस्मिक कार्यो यथा बाढ़ राहत, चुनाव, महामारी आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलेक्टर/देवस्थान विभाग द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहित किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहीत किया गया, उतने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि प्रथम पक्ष (मालिक) द्वारा प्राप्त नहीं की जावेंगी।
26. धर्मशाला एवं पार्किंग की नियमित साफ–सफाई करवाने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा उक्त परिसर में आवश्यकतानुसार डस्टबीन रखे जावेगें एवं पार्किंग स्थल पर आने वाल महिला एवं पुरूषों के लिये प्रथक–प्रथक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी एवं उनके नियमित साफ–सफाई की व्यवस्था करने का दायित्व स्वयं संवेदक का होगा।
27. धर्मशाला एवं पार्किंग स्थल पर पर्याप्त सीसीटीवी एवं सुरक्षा सम्बन्धित उपाय करने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
28. इस अनुबंध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प–रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व लीज धारक का होगा।
29. राज्य सरकार एवं देवस्थान विभाग द्वारा धर्मशाला एवं विभागीय सम्पदाओ के संचालन से सम्बन्धित कोई भी नियम, उपनियम, आदेश, परिपत्र जारी किये जाते है उसे अनुबन्धकर्ता को मानना बाध्यकारी होगा।
30. समस्त विवादो का न्याय क्षैत्र उदयपुर रहेगा।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

31. लीज धारक उक्त वर्णित शर्तो में निहित प्रावधानों की पालना के लिए आबद्व और वचनबद्व है। उक्तानुसार यह अनुबंध पत्र लीज धारक एवं मालिक ने स्वस्थचित्त, स्थिर बुद्वि से होश हवास में लिखा गया हैं, जो अभिलेख के रूप में मान्य एवं उभय पक्ष को बाध्यकारी होगा।

यह हैं कि यह अनुबंध पत्र दस्तावेज तीन असल प्रतियॉ मे तैयार किया गया हैं, जिसमे से मूल प्रति व एक काउन्टर पार्ट प्रति प्रथम पक्ष के कार्यालय मे सुरक्षित रखी जायेगी एवं दुसरी काउन्टर पार्ट प्रति द्वितीय पक्ष को सुपुर्द की जायेगी।

हस्ताक्षर

(राजस्थान सरकार, देवस्थान विभाग

विभाग की और से अधिकृत अधिकारी)

हस्ताक्षर

अनुबंधकर्ता

(द्वितीय पक्षकार लीज धारक)

(1) साक्षी :

(2) साक्षी :

(1) साक्षी :

(2) साक्षी :

स्थान :–...

दिनांक :–...

Signature valid

Digitally signed by Jate[illegible]n Kumar Gandhi
Designation : Assist[illegible]nt Commissioner
Date: 2025.04.07 1[illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14656499

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त उदयपुर देवस्थान विभाग

क्रमांक :– एफ 3(23)लेखा / देव / धर्मशाला चारभुजा / 2024–25 / दिनांक :–

ई–निविदा सूचना संख्या 01 / 2025–26

तकनीकी बिड प्रपत्र

1	बिड आमंत्रित करने वाले विभाग का नाम	सहायक आयुक्त उदयपुर देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर
2	बिड का सन्दर्भ UBN (Unique bid number)	
3	कार्य का विवरण	लीज आधार पर 15 वर्ष हेतु बस स्टेण्ड स्थित धर्मशाला ,(मय पार्किंग)ग्राम गढबोर तहसील चारभुजा जिला राजसमंद का संचालन
4	लीज की अनुमानित राशि	4,58,310 / –वार्षिक
5	बोलीदाता का विवरण नाम मय पता... टेलिफोन न. मय एस.टी.डी कोड फेक्स न....................................... मोबाईल नम्बर एवं. ई–मेल आइडी .... वैब साईट...	
6	बिड का प्रकार Single-Stage: two part (cover) open competitive e-bid procedure at http://eproc. rajasthan.gov.in	
6	बिड प्रपत्र की लागत	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के पक्ष में कैश रसीद न. / ईग्रास चालान नं. / डी.डी. नं. / बी.सी. नं.................................दिनांक...............................राशि रूपये..........................बैंक ब्रांच का नाम......................... .... (डी.डी. मूल ही सलग्न करना होगा)
7	बिड प्रतिभूति	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग——–के पक्ष में डी. डी. नं...................................दिनांक............................... राशि रूपये............................बैंक ब्रांच का नाम................ .... (डी.डी. मूल ही सलग्न करना होगा)
8	बिडर्स का पंजीयन सम्बन्धित विवरण Constitution of the firm individual whether /proprietorship/partnership/company	आस्थिति(कम्पनी / संस्था / फर्म / कॉर्पोरेट बॉडी / वैयक्तिक रूप से पंजीकृत आदि) व्यक्तिगत
	(a) In case of proprietorship firm:-	नाम... पिता का नाम... पता... पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक......................... पंजियन अधिकारी का नाम.........................

Signature valid

Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

		पंजियन की वैद्यता..
	(b) In case of Individual:-	नाम.. पिता का नाम... पता... पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक......................... पंजियन अधिकारी का पता.............................. पंजियन की वैद्यता..
	(c) In case of partnership firm	नाम.. पिता का नाम... पता... Of all the partners (Note-Enclose the Registration certificate of firms of its attested copy/ photocopy of partnership Deed)
	(d) In case of company (Note-Enclose the egistration certificate of company)	Name – Address of the all directors of the company पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक......................... पंजियन अधिकारी का पता.............................. पंजियन की वैद्यता..
9	प्रोसेसिंग फीस	Managing director RISL Payble at jaipur के नाम राशि 500/–
10	जी.एस.टी. आई.एन. पंजीयन क्रमांक	
11	आयकर खाता संख्या एवं पेन नं.	
12	अनुभव– ITR & CA Audit Balance Sheet (टर्नओवर अनुमानित बोली राशि से तीगुनी होना आवश्यक है।	वित्तीय वर्ष– दस्तावेज एनेक्सर पर संलग्न हैं। 2022–23 का एनेक्सर नं.............................. 2023–24 का एनेक्सर नं.............................. 2024–25 का एनेक्सर नं..............................
13	पिछले 3 वित्तीय वर्षो में आयकर जमा का विवरण	वित्तीय वर्ष– निम्न आयकर जमा कराया है एवं कर निर्धारण आदेश की प्रति सलग्न है। 2022–23 का एनेक्सर नं.............................. 2023–24 का एनेक्सर नं.............................. 2024–25 का एनेक्सर नं..............................
14	बिडर के बैक खाते का विवरण	खाता संख्या... बैक/ब्रांच का नाम.. आईएफएससी कोड..
15	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ,पता, फोन नं. एवं मेल आई डी	

दिनांक:

(हस्ताक्षर बोलीदाता)

Signature valid
Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,उदयपुर

वित्तीय बोली

SCHEUDLE "H "

क्र.सं.	मद संख्या	मद विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली वार्षिक किराया राशि (Exclusive of all taxes)
1	1	बस स्टेण्ड स्थित धर्मशाला,(मय पार्किंग) ग्राम गढबोर तहसील चारभुजा जिला राजसमंद (राज0)	4,58,310/– (वार्षिक)	नोटः– वित्तीय निविदा इस प्रपत्र में नही भरी जावेगी। वित्तीय बोली ओनलाईन बी. ओ .क्यू. में भरी जावेगी।

बिडर के हस्ताक्षर मय दिनांक
कम्पनी का नाम (यदि कोई हो तो)
मोबाईल नं.
मेल आईडी

बिड हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम विवरण सहित

नोट :–

1. प्रस्तावित दर ई–प्रोक पोर्टल पर ऑनलाईन इन्द्राज करें। दर वार्षिक आधार पर ही मान्य होगी।
2. धर्मशाला संचालन पर लगने वाले सभी प्रकार के कर प्रभारो एवं अनुज्ञप्तियों इत्यादि पर लगने वाले प्रभारो की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

हस्ताक्षर
मयसील बोलीदाता

Signature valid
Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 18:20:27 IST
Reason: Approved

Annexure A:

Compliance with the code of integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall- Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process; Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation; Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process; Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process; Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process; Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

Disclose conflict of interest. If any and Disclose any previous transgressions with any Entity in india or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with application laws and regulations. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to: Have controlling partners/shareholders in common; or Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;or Have the same legal representative for purpose of the Bid; or Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the Bidding Process: or The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participation as a bidder, in more than one Bid; or The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

Annexure B:

Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............................Dated........................

I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

I/we have fullfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the state Government or any local authority as specified in th Bidding Document:

I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons:

I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misreprentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Signature valid
Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 18:20:27 IST
Reason: Approved

Annexure C:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Commissioner Devasthan Department Udaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is additional Secratory. Devasthan Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

Filling an appeal:- If any Bidder or prospective bidderis aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in Contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to first appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings. Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expenditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the ordre passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:- Determination of need of procurement Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process. The decision of whether or not to enter into negotiations.Cancellation of a procurement process. Applicability of the provisions of confidentiality.

Form of Appeal:- An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal. Every appeal shall be accompanied by an order appealed against. If any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee. Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

Fee for filing appeal:- Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand. Which shall be non-refundable. The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a sheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Procedure for disposal of appeal:- The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing. On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

Signature valid
Digitally signed by Jate[illegible]n Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 1[illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

(i) hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevent records or copies thereof relating to the matter.

After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature valid

Digitally signed by Jate[illegible]n Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 1[illegible]:20:27 IST
Reason: Approved

Form No. 1
(See rule 83)
Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No...of.........................
Before .... (first/second Appellate Authority)
Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

Name and address of the respondent (s):
(i)
(ii)
(iii)

Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.
If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
Number of affidavits and documents enclosed with the appeal
Grounds of appeal ....
....
....
....(Suppoted by an affidavit)
Prayer...
....
....
....
....

Place...................................
Date....................................

Appellant's Signature

Signature valid
Digitally signed by Jatein Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

Annexure D:

Additional Conditions of Contract

Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following If these is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals. The subtotals shall prevail and total shall be corrected: and If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors.Its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Decleration shall be executed.

Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contact, the quality of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent. Of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) if the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last

Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder. Whose Bid is accepted. However,when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entity quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases the quantity may be divided between the Bidder, whose bid is accepted and the second lowest Bidder or even more manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

DHARMSHALA and PARKING

OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER, DEVASTHAN DEPTT. UDAIPUR

Rent Assessment of Property No. ~~PARKING~~ DHARMSHALA of Temple Shri CHARBHUJA ji attached property DHARMSHALA BUS STAND at Gadbor Distt Rajsamand.
(Bases on P.W.D. standing order No. x-3 ~~2015~~ 2021)
DHARMSHALA (BUS STAND) and parking Area

Name of Tenant:- DHARMSHALA (BUS STAND) and parking Area
Name of sub Tanant:- —
Type of Tenancy:-Commercial/~~residential~~:-

Specification of the property

1. Age of Property 60 Year
2. Type of Masonry:- Stone/Brick/Cement/Lime/Mud Mortar.
3. Type of Flooring :- CC/Stone/kota/Marble/Mosaic.
4. Type of roofing :- Stone Slab/R.C.C./Tin Shed/Wooden.
5. Type of Joinery:- Wooden/Steel Shutter.
6. Sanitary/Water Supply :-Ordinary/Special.
7. Electric Fitting:- Ordinary/Conduit Wiring.
8. Ceiling Height:- 10'6"

Basement Floor Area = 1×128'6"×22'0" = 2827.00 sq ft or 262.63 sq mt
@7000/sq mt Rs = 183841
Ground Floor Area = 2×257'6"×21'0" = 10815 sq ft
= 2×128'6"×30'0" = 7710 sq ft
= 18525 sq ft
1721.00 sq mt @9720/sq mt Rs = 16728
Total Rs = 18566
Add for good flooring water electricity 31% Rs + 575
Total Rs = 243221
Dep. Cost = 24322155×0.5445 = 13243413.
Land Cost Area = 18525 sq ft @1031/sq ft Rs = 19099275.
Total Rs = 32342688.
[illegible] 25% Rs = 8085672.00
Open Land Area = 1×197'6"×128'6" = 25378.75 sq ft
Parking Area = 44371.00 sq ft
Area = 69749.75 sq ft
@1031/sq ft Rs = 71911992.25
[illegible] 10% Rs = 7191199.
Total (1+2) Rs = 15276871.
Per year = 15276871.23×10/100 = 1527687.12
30% ~~Say~~ Rs = 458306.14
Say Rs = 458310.00

Signature valid
Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 13:20:27 IST
Reason: Approved

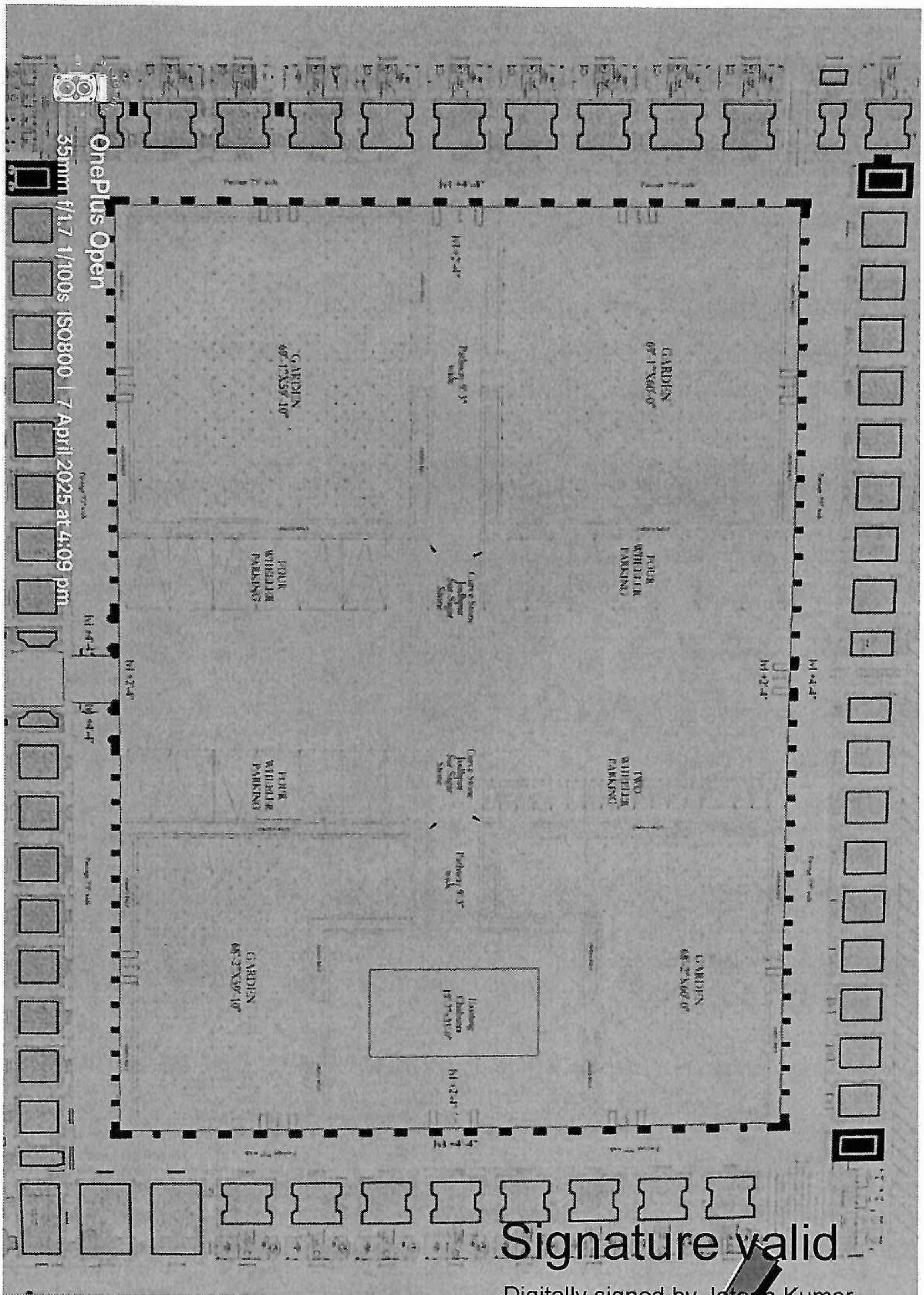

Signature valid

Digitally signed by Jate[illegible]n Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.04.07 18:20:27 IST
Reason: Approved

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर खण्ड उदयपुर

सूरजपोल, उदयपुर E-Mail Id:- ac.udaipur.dev@rajasthan.gov.in Tel. No- 0294-2420546

क्रमांक :– एफ 3(23)लेखा/देव/धर्मशाला चारभुजा/2024–25/ 1406 दिनांक :– 16/4/25

संशोधित ई–निविदा सूचना संख्या 01 व 02/2025–26

इस विभाग द्वारा जारी ई–निविदा सूचना संख्या 01 व 02 /2025–26 के अन्तर्गत राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री चारभुजा जी गढबोर जिला राजसमंद देवस्थान विभाग के स्वामित्व की विद्यमान बस स्टेण्ड धर्मशाला मय पार्किंग व बाजार की धर्मशाला मय पार्किंग ग्राम गढबोर तहसील चारभुजा जिला राजसमंद– राज0 को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रक्रिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु की गई निविदा में अपरिहार्य कारणों से निविदा दस्तावेज भरने /अपलोड करने इत्यादि की दिनांक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

क्र.स.	विवरण	पूर्व में वर्णित दिनांक व समय	संशोधित दिनांक व समय
1	बोली दस्तावेज भरने ऑन लाईन (अपलोड) करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	दिनांक 09.04.2025 प्रातः 11.00 बजे से	दिनांक 18.04.2025 प्रातः 11.00 बजे से
2	प्री बीड मीटींग की दिनांक समय व स्थान	सहायक आयुक्त कक्ष कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,होटल देवदर्शन सूरजपोल, उदयपुर में दिनांक 16.04..2025 समय प्रातः 11.30 बजे	सहायक आयुक्त कक्ष कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,होटल देवदर्शन सूरजपोल, उदयपुर में दिनांक 23.04..2025 समय प्रातः 11.30 बजे
2	बोली दस्तावेज भरने ऑन लाईन (अपलोड) करने हेतु प्रारम्भ की दिनांक व समय	दिनांक 09.04.2025 दोपहर 2.30 बजे से	दिनांक 18.04.2025 दोपहर 2.30 बजे से

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www. devasthan. rajasthan.gov.in पर देखी डाउनलोड की जा सकती है।

उक्त के अलावा निविदा की अन्य सभी शर्ते यथावत् रहेगी।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
उदयपुर

क्रमांक :– एफ 3(23)लेखा/देव/धर्मशाला चारभुजा/2024–25/1407–1431 दिनांक :– 16/4/25

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय,देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, संभाग उदयपुर
4. श्रीमान् आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर को सूचनार्थ एवं निवेदन है कि उक्त संपदा को लीज पर देने हेतु निविदा प्रक्रिया हेतु मुख्यालय से मनोनित सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को निविदा प्रक्रिया हेतु भिजवाने का श्रम करावे।
5. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय राजसमंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. श्रीमान् शासन उपसचिव, देवस्थान विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय जिला राजसमंद

8. तहसीलदार चारभुजाजी को निविदा कार्यवाही हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद के पत्र कमांक प040( )सा.प्र./देवस्थान/संपदाओं प्रतिनिधि/2025/77/दिनांक 27.01.2025 के कम में निविदा कार्यवाही हेतु खोली जाने हेतु नियत दिनांक को उपस्थित होने बाबत
9. वित्तिय सलाहकार,देवस्थान विभाग राजस्थान,उदयपुर।
10. अध्यक्ष होटल एसोसियशन, राजस्थान,उदयपुर/राजसमन्द।
11. जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी,सूचना केंद्र उदयपुर/राजसमन्द
12. श्रीमान् आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान –उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा/बिड प्रपत्र प्रभारी अधिकारी कम्प्युटर शाखा मुख्यालय से विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
13. श्रीमान् सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/जोधपुर / ऋषभदेव/कोटा /वृन्दावन/हनुमानगढ/जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय नोटीस बोर्ड चस्पा एवं प्रचार प्रसार बाबत्।
14. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/ कार्यालय हाजा /मुन्तजिम मंदिर श्री चारभुजा जी गढबोर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
उदयपुर